

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

41

पत्र संख्या :-4/जन०शि०को०11-02/2009 29/11/09 पटना, दिनांक : 27/7/09

प्रेषक

नवनीत नंदन सहाय
वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सी०के० अनिल
सचिव
मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्यमंत्री के विकास यात्रा - 2009 के संबंध में।
प्रसंग :- 1. मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ सं.-1802930079
2. आपके पत्रांक - 1768 वि.या.दि. 15.06.09

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य में चेक पोस्ट की स्थापना एवं कर अपवंचना के संबंध में विभागीय पत्रांक 2811 दिनांक 20.07.09 एवं 2844 दिनांक 22.07.09 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

कृपया इसे निष्पादित समझा जाय। ??

विश्वासभाजन


वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।



श्री प्रदीप
संयुक्त आयुक्त
31/7/2009

विहार सरकार
वाणिज्य कर विभाग

वि.वि.ध-26/2969 2811 /पटना, दिनांक 20/7/09

सुरेन्द्र चौधरी,
वाणिज्य कर अपर आयुक्त,
बिहार, पटना।

✓ श्री नवनील नन्दन सहाय,
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त(मुख्यालय),
वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आयका पत्रांक 4/जन० शि० को०-82-11/09 मै-स-प्रे-सं-314(अनु.), दिनांक 08.07.2005

महोदय,
उपरोक्त विषयक राज्यके प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि श्री सी० के० अनिल, सरकार के सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संलग्न पत्र, दिनांक 15.06.09 में निदेश है कि पहले आवेदन पत्र पर कृत कार्रवाई पत्र (Action Taken Letter) तैयार किया जावे एवं तत्पश्चात उसे मंत्रिमंडल सचिवालय के जन शिकायत कोषांग में भेजकर इसपर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित आवेदन को कृत कार्रवाई से अलग करवाया जाये। इस निदेश को आलोक में कर शाखा से संबंधित अंश पर सूचना आपको भेजी जा रही है।

भागलपुर के व्यवसायियों के आवेदन में मूल रूप से दो बिन्दु हैं :

- (क) कर अपवंचना एवं
- (ख) राज्य में चेक पोस्ट की स्थापना

कर अपवंचना के बिन्दु पर जवाब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय से अपेक्षित है। जहाँतक कर अपवंचना को रोकने के लिए राज्य में चेक पोस्टों की स्थापना का प्रश्न है, इसपर उप मुख्य-सह-वित्त मंत्री, बिहार के दिनांक 25.02.2009 के बजट भाषण में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई है : "राज्य में सीमावर्ती गया जिलान्तर्गत डोभी तथा नवादा जिलान्तर्गत रजौली में चेक पोस्टों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जबकि शेष चार स्थानों- मोहनिया (कैमूर), सोहनीपट्टी (बक्सर), जलालपुर (गोपालगंज) एवं दालकोला (पूर्णिया) में चेक पोस्ट का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा लिया जायेगा।"

वैधानिक प्रपत्रों (C.S.T. Form) के निर्माण को सरलीकृत एवं सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिये गये हैं।

विश्वारामाजन 20/7/09

(सुरेन्द्र चौधरी)
वाणिज्य कर अपर आयुक्त,
वाणिज्य कर विभाग।

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including "पत्रांक", "वि.वि.ध-26/2969", and "सेवा में".

(12) (39)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक - वि. कर/वि. वि. - 26/2009 2844

पटना, दिनांक - 02.07.2009

जन शिवालय
पत्रांक

सुरेन्द्र चौधरी,
वाणिज्य-कर अपर आयुक्त,
बिहार, पटना।

जन शिवालय
पत्रांक
24/7/2009

श्री नवीत नन्दन सहाय,
वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय),
प्रगारी, जन शिक्षायात कोषांग,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।

विषय: विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई
पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्राप्त: आपका पत्रांक 4/जोशिवको-02-11/09 मैसा0प्रै0रॉ0 314 (अनु0), दिनांक 08.07.2009

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के क्रम में पत्रांक 2811, दिनांक 20.07.2009 द्वारा "सूच्य में चेक पोस्ट की स्थापना" विषयक अंश पर आपको सूचना भेजी जा चुकी है। केन्द्रीय अवेपण ब्यूरो, मुख्यालय के मैसा0प्रै0रॉ0 36, दिनांक 11.07.2009 के आदेश में "अपवचना" विषयक अंश पर सूचना निम्नवत् है :

बिहार मूल्य वद्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-86 के अंतर्गत अवेपण ब्यूरो के गठन का प्रावधान है। इस उपभाग (विंग) का मुख्य कार्य कर अपवचना की रोकथाम करना है। इसकी सहायता मुख्यालय के साथ-साथ सभी वाणिज्य-कर प्रमंडलों में है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के परिणामस्वरूप रु० 8.51 करोड़ की वृद्धित (पेनाल्टी) अधिसोपित की गई। इस अधिसोपित शक्ति के विरुद्ध रु० 2.45 करोड़ की वरूली की गई।

निश्चयमान,

वाणिज्य-कर अपर आयुक्त
बिहार, पटना।